न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 19 / 2024 GCMS No.2024/35

1. अशोक
2. लोकेश पुत्रान कालू जातियान नाई निवासीयान ग्राम कुण्डेरा तह0 व जिला सवाई माधोपुर ।
3. गंगासहाय
4. नवलकिशोर
5. मघराज
6. राजेश पुत्रान बृजमोहन जातियान महाजन निवासीयान कुण्डेरा तह0 व जिला सवाई माधोपुर ।
7. कैलाश जिन्दल
8. रामू उर्फ अमित
9. पदम पुत्रान हरिप्रसाद
10. ललिता पुत्री हरिप्रसाद
11. अनिता पुत्री हरिप्रसाद जातियान महाजन निवासीयान ग्राम मलारना डूँगर तह0 मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. किशन गोपाल पुत्र मांगीलाल
2. गिरिराज प्रसाद पुत्र किशनगोपाल
3. गिरधर प्रसाद पुत्र किशनगोपाल समस्त जातियान ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम कुण्डेरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार महोदय तहसील सवाई माधोपुर
5. राकेश पुत्र कालू
6. मनभर पत्नि कालू जातियान नाई निवासी ग्राम कुण्डेरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर हालवासी मेई तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

रेस्पोडेटंस

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर मु0न0 01 / 2024 दिनांक 22.03.2024)

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उपस्थित अभिभषाक

1. अपी0 की ओर से श्री श्याम मोहन शर्मा
2. रेस्पो0 सं. 01 ल0 03 की ओर से श्री पारस मल जैन
3. रेस्पो0 सं. 05 व 06 की ओर से श्री संदीप शर्मा

निर्णय दिनांक 06.09.2024

1. प्रस्तुत अपील अपी0 की ओर से अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) के तहत मु0न0 01/24 निर्णय दिनांक 22.02.2024 के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 3/प्रार्थीगण द्वारा रेस्पो0 संख्या 4 के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम कुण्डेरा तहसील सवाई माधोपुर मे स्थित ख0न0 1696 रेस्पो0 संख्या 2 व 3 की खातेदारी की भूमि है तथा ख0न0 1697 व 1698 रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी की भूमि तथा ख0न0 1699 व 1700 प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि है। खसरा न0 1696 लगायत 1699 आपस मे एक दुसरे से मिले हुए है। खसरा न0 1700 गैर मुमकिन चाह है। खसरा न0 1695 व 1634 अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 की खातेदारी भूमि है। खेमराजी पुत्री वृजमोहन का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 13 है। प्रार्थीगण/रेस्पो0 की आराजीयात के दक्षिण की तरफ खसरा न0 1695, 1634 व 1633 स्थित है तथा गैर मुमकिन दक्षिण की और खसरा न0 1745 गैर मुमकिन सडक है। प्रार्थीगण/रेस्पो0 को अपने खेतो पर पहुँचने के लिए कोई रास्ता नही है। अपीलाटान की खातेदारी की भूमि के पूर्वी हिस्से की ओर 30 फीट का रास्ता दिलाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ रेस्पो0/प्रार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक्सपार्टी तहसीलदार सवाई माधोपुर से रिपोर्ट तलब कर दिनांक 22.03.24 को अपीलाधीन निर्णय टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के विपरीत जाकर विधि विरूद्व निर्णय अपीलांटान/अप्रार्थीगण के विरूद्व किये जाने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

4. अपी0 के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलाधीन निर्णय रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं तथ्यो से परे होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट भिजवाई गई है उसकी सूचना अपीलांटस को नही दी गई है तथा मौका रिपोर्ट भी आई एल आर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को अधिनस्थ न्यायालय मे भिजवाई गई है जबकि राजस्व मंडल की कई नजीरो मे स्पष्ट मत पारित किया है कि मौका रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार की उपस्थिति मे तैयार होनी चाहिए। पटवारी हल्का द्वारा जो मौका रिपोर्ट दिनांक 05.02.2024 को तैयार की गई है उसमे ख0न0 1633,1725 व 1727 की मेड पर लगभग 15 फीट रास्ता अस्थाई रूप से चालू करना दर्शाया है तथा जो अनुशंषा दी है उसमे प्रार्थीगण को उक्त रास्ते को स्थाई किये जाने का तथ्य अंकित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण 30 फीट का रास्ता दिया गया है। जो विधि विरूद्व है। आराजी ख0न0 1696 लगायत 1699 मे पहुॅचने के लिए कोई रास्ता मौजूद नही है बल्कि मंदिर श्री ठाकुरजी गोपाल जी की आराजी ख0न0 1676,1689,1686,1685,1684 व मुरारी पुत्र बंजरंगलाल के खेत ख0न0 1683 मे होकर मुख्य रास्ता 1679 व 1680 पर पहुॅचता है। यह रास्ता काफी प्राचीन से है। अपीलांटस के खेतो मे होकर कभी भी आने जाने का प्रार्थीगण का रास्ता नही रहा है। प्रार्थना पत्र दिनांक 05.01.24 को दर्ज किया है तथा रिपोर्ट तलब की है रिपोर्ट किस दिनांक को किसके आदेश से तलब की है कही भी दर्ज नही है तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक 11.3.24 तक कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त नही हुई तथा जनरल नोटिस से तारीख दी गई है तथा दिनांक 22.3.24 को अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून जाकर पारित किया गया है। तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट किस आदेश की पालना मे भिजवाई गई है जिसका कोई अंकन अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नही है तथा तहसीलदार द्वारा भिजवाई गई मौका रिपोर्ट उभयपक्ष की अनुपस्थिति एवं तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका देखे बिना ही रिपोर्ट भिजवाई गई है। मौका रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 (ए) के तहत निर्धारित प्रपत्र पर भिजवाई गई है परन्तु उसमे पक्षकारो की उपस्थिति बाबत कोई अंकन नही किया गया है साथ मौका रिपोर्ट मे तहसीलदार द्वारा 15 फीट रास्ते की अभिशंषा की गई है जिसे अनदेखा कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 30 फीट का रास्ता दिया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के उपरान्त राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर किये गये इन्द्राज अपास्त फरमाये जावे।

5. रेस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने बहस अपील में तर्क दिया कि ग्राम कुण्डेरा तहसील सवाई माधोपुर मे स्थित ख0न0 1696 प्रार्थी/रेस्पो0 गिरिराज प्रसाद एवं गिरधर प्रसाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है तथा ख0न0 1697 व 1698 प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी की भूमि तथा ख0न0 1699 व 1700 प्रार्थी संख्या 1 किशन गोपाल की खातेदारी की भूमि है। खसरा न0 1696 लगायत 1699 आपस मे एक दूसरे से मिले हुए है। खसरा न0 1700 गैर मुमकिन चाह कुँआ है। खसरा न0 1695 व 1634 अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 की खातेदारी भूमि है। खेमराजी पुत्री वृजमोहन का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 13 है। प्रार्थीगण/रेस्पो0 की आराजीयात के दक्षिण की तरफ खसरा न0 1695, 1634 व 1633 स्थित है तथा खसरा न0 1633 से लगता हुआ दक्षिण की और ख0न0 1632 गैर मुमकिन रास्ता है तथा इस ख0न0 1632 गैर मुमकिन रास्ते से लगता हुआ दक्षिण की और खसरा न0 1745 गैर मुमकिन सडक है। प्रार्थीगण/रेस्पो0 को अपने खेतो पर पहुँचने के लिए कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण/रेस्पो0 के उक्त ख0नम्बरान मे पहुँच के लिए रास्ता प्रार्थीगण/रेस्पो0 की उक्त आराजीयात के दक्षिण मे लगती हुई अपीलाट/विपक्षीगण की आराजी ख0न0 1695, 1634 एवं 1633 के पूर्वी हिस्स मे से होते हुए इनके दक्षिण मे स्थित गैर मुमकिन रास्ता ख0न0 1632 एवं उससे लगती हुई गैर मुमकिन सडक ख0न0 1745 तक है किन्तु राजस्व रिकार्ड मे रास्ते का कोई अंकन नही है इस कारण अपीलांट/विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 को आने जाने की मनाही करने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट तलब की जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) व अवलोकन कर ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का यह कथन निराधार है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने ही निर्णय पारित किया है जबकि दिनांक 15.02.24 को अपीलांट की और से वकालतनामा अधिनस्थ न्यायालय मे पेश हुआ है तथा अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा जबाब पेश किया गया है तत्पश्चात बहस उभयपक्ष की सुनी जाकर ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का कथन रहा कि लगती हुई भूमि मंदिर माफी की है जिसमे से भी रास्ता दिया जा सकता है जबकि मंदिर माफी की जमीन मे से विधि अनुसार रास्ता नही दिया जा सकता है। जिन काश्तकारो की भूमि मे से रास्ता दिया गया है उनमे से कुछ काश्तकारो द्वारा राशि भी प्राप्त कर ली गई है । तहसीलदार द्वारा भिजवाई गई मौका रिपोर्ट पर अपीलांटस द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे कोई आपत्ति नही उठाई गई। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह पूर्ण विधि के प्रावधानो एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अवलोकन एवं विवेचन के पश्चात ही पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन अध्ययन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर ही तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है। अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय मे उनको सुनवाई का मौका प्रदान नही किया गया है जबकि दिनांक 15.02.2024 को अप्रार्थीगण/अपीलांटान की ओर से वकालतनामा पेश किया गया है एवं उभयपक्ष की बहस सुनकर ही निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा यदि मौका रिपोर्ट के बाबत कोई आपत्ति थी तो उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी जो उनके द्वारा प्रस्तुत नही की गई है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के उपरान्त कुछ पक्षकारो द्वारा अवार्ड राशि प्राप्त भी कर ली गई है तथा राजस्व रिकार्ड मे भी रास्ते का अमल हो चुका है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उनमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर मु0न0 01/2024 दिनांक 22.03.2024 को यथावत रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को मेरे द्वारा अंकित कराया जाकर खुले न्यायायलय मे सुनाया गया।

6/9/24

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner